



2026:AHC:164180

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 25715/2026

राम चंदर

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दया शंकर यादव, महेन्द्र कुमार

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 37

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय

1. कार्यालय ने वर्तमान रिट याचिका को योजित करने में 220 दिनों के विलंब की रिपोर्ट दी है, जिसे रिट याचिका के प्रस्तर संख्या 17 में स्पष्ट किया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार सिंह एवं गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह को सुना।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, कोई प्रतिशपथ-पत्र आमंत्रित किए बिना वर्तमान रिट याचिका पर अंतिम रूप से सुनवाई की जा रही है।
4. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्लाट संख्या 29एम के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियां प्रारंभ की गई थीं। जिसके अनुक्रम में, तहसीलदार ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध बेदखली और क्षतिपूर्ति के लिए एक आदेश दिनांक 10.07.2024 पारित किया था। उसी प्लाट संख्या 29एम के संबंध में एक भोलानाथ नामक व्यक्ति के विरुद्ध भी बेदखली और क्षतिपूर्ति का एक अन्य आदेश पारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.07.2024 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत एक अपील योजित की, जिसमें विशिष्ट रूप से यह तर्क किया गया था कि प्रश्नगत प्लाट पर याचिकाकर्ता का निर्माण लंबे समय से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्यमान है, ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-क के निबंधनों के अनुसार प्रश्नगत प्लॉट के आबंटन (आबंटन) का पात्र है। जिलाधिकारी ने आदेश दिनांक 26.08.2025 के द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा योजित अपील को परिसीमा (समय-सीमा) के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर निरस्त कर दिया। उसी प्लॉट के संबंध में बेदखली के आदेश के विरुद्ध भोलानाथ द्वारा योजित अपील को भी निरस्त कर दिया गया था। अपनी अपील के निरस्त होने से क्षुब्ध होकर, भोलानाथ ने उसी प्लॉट के संबंध में इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट - सी संख्या 45275 वर्ष 2025 योजित की थी। उक्त रिट याचिका पर सुनवाई की गई और दिनांक 25.03.2026 को इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया गया कि उसमें प्रस्तुत याचिकाकर्ता प्रश्नगत प्लॉट के आबंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपचार का लाभ उठा सकता है, जिस पर विधि के अनुसार विचार किया जाएगा। अतः, याचिकाकर्ता की ओर से निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका योजित की जा रही है:-

"I. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत वाद संख्या 769 वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या डी202516670000769) (राम चंद्र बनाम राज्य) में प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.08.2025 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या 3742 वर्ष 2017 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी2017166762053742) (रिपोर्ट लेखपाल बनाम राम चंद्र) में प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.07.2024 (रिट याचिका के संलग्नक संख्या 6 और 4) को उत्प्रेषण रिट की प्रकृति में निरस्त किया जाए।

II. प्रत्युत्तरदाता को यह निर्देश देने के लिए परमादेश रिट जारी की जाए कि वे याचिकाकर्ता को ग्राम- सनाथपट्टी, तहसील- भदोही, जिला भदोही में स्थित अराजी संख्या 29एम, रकबा 0.0195 हेक्टेयर से बेदखल और विस्थापित न करें।"

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली और क्षतिपूर्ति का आदेश उनके विरुद्ध एकपक्षीय है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपील में एक विशिष्ट आधार उठाया गया था कि प्रश्नगत प्लॉट, जो याचिकाकर्ता के अध्यासन (कब्जा) में है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-क में समाविष्ट प्रावधानों के निबंधनों के अनुसार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता के पक्ष में आबंटन होने योग्य है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जिलाधिकारी ने विधि के अनुसार प्लॉट के आबंटन के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में दोनों आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं, और प्रकरण को सक्षम प्राधिकारी को प्रति-प्रेषित किया जाना चाहिए ताकि वे विधि के अनुसार प्रश्नगत प्लॉट के आबंटन के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार कर निर्णय ले सकें।

6. दूसरी ओर, राज्य-प्रत्युत्तरदाता के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार सिंह एवं गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह ने प्रस्तुत किया कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्राधिकारियों ने पाया है कि याचिकाकर्ता का उस प्लॉट पर अवैध अध्यासन (कब्जा) है जो राजस्व अभिलेख में "ऊसर" के रूप में दर्ज है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सुनवाई के समय तहसीलदार के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था, तदनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष कालबाधित अपील योजित की गई थी और अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के प्रत्येक पक्ष पर विचार करते हुए अपील का निर्णय किया है, ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली का परिशीलन किया है।

8. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्लॉट संख्या 29एम राजस्व अभिलेख में "ऊसर" के रूप में दर्ज है। इस तथ्य के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध बेदखली और क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया गया है जिसे अपील में यथावत रखा गया है। इस तथ्य के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि प्रश्नगत उसी प्लॉट के संबंध में एक अन्य व्यक्ति द्वारा योजित रिट याचिका को इस अवलोकन के साथ निस्तारित किया गया था कि याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-क में यथा-प्रावधानित आबंटन के लिए विधिक कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. तहसीलदार के आदेश के परिशीलन से यह प्रदर्शित होता है कि बेदखली और क्षतिपूर्ति का आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था। अपील में लिए गए आधारों के परिशीलन से यह प्रदर्शित होता है कि याचिकाकर्ता ने यह आधार लिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-क के अंतर्गत समाविष्ट प्रावधान के आलोक में प्रश्नगत प्लॉट को याचिकाकर्ता के पक्ष में सेटल किया जाना चाहिए, जिस पर अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित रीति से विचार नहीं किया गया है।

10. इस न्यायालय ने ऋषिपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2023 (1) एडीजे 154 के प्रकरण में राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67, 67क एवं 67(5) के अंतर्गत कार्यवाहियों के कार्यक्षेत्र पर विचार किया था। निर्णय का प्रस्तर संख्या 74 परिशीलन के लिए सुसंगत है जो निम्नलिखित है:-

"74. इस प्रकार, मेरे मत में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67, 67क और 26 के अंतर्गत कार्यवाहियों पर लागू की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अपनाया जाए। इसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, प्राधिकारियों द्वारा न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना और एक लंबे समय से स्थापित अध्यासन को हटाने तथा एक निर्दोष ग्रामीण को अनावश्यक रूप से परेशान करने के गुप्त व परोक्ष उद्देश्य से की जाने वाली प्रत्येक शिकायत को विफल करना है:

(i) आर.सी. प्रपत्र 19 पर शिकायत किए जाने की स्थिति में, इसे तैयार करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस निर्णय में किए गए प्रेक्षणों के आलोक में उचित सर्वेक्षण किया गया है; जिस भूमि का अध्यासन अनधिकृत पाया गया है, वह सटीक माप में हो और भूमि राजस्व सर्वेक्षण नियमावली, 1978 के अनुसार पैमाने पर तैयार किए गए सर्वेक्षण मानचित्र में भी दिखाई गई हो; सर्किल दर के आधार पर क्षतिपूर्ति का सटीक निर्धारण उस आधार पर की गई गणना के विवरण के साथ हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (ii) स्वतः संज्ञान की कार्यवाही के प्रकरण में, आर.सी. प्रपत्र 20 जारी करने से पहले, प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि नियम 67 के उप-नियम 1 के मापदंडों पर उपर्युक्त पैरा (i) के अनुसार आर.सी. प्रपत्र 19 पर उचित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- (iii) आर.सी. प्रपत्र 20 के साथ उस व्यक्ति को रिपोर्ट और स्थल सर्वेक्षण की एक प्रति सौंपी जानी निश्चित है जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां संस्थापित की गई हैं, जो आर.सी. प्रपत्र 19 के साथ प्रस्तुत की गई थी, या उपर्युक्त पैरा (ii) के अनुसार स्वतः संज्ञान की कार्यवाही के प्रकरण में अन्यथा प्रस्तुत की गई थी।
- (iv) नोटिस का उत्तर दाखिल किए जाने पर, यदि प्राधिकारी पाता है कि स्थल सर्वेक्षण/स्पष्टीकरण रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, तो वह व्यथित पक्षकार की उपस्थिति में एक नई स्थल रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दे सकता है।
- (v) यदि आपत्ति में धारा 67-क के अंतर्गत वैधानिक संरक्षण/लाभ का दावा सम्मिलित है, तो प्राधिकारी को गांव सभा से आपत्ति आमंत्रित करनी चाहिए, और व्यथित पक्षकार को धारा 67-क के अंतर्गत पृथक आवेदन योजित करने के लिए बाध्य किए बिना, धारा 67 के अंतर्गत विषय के साथ ही इसका निर्णय करना होगा।
- (vi) यदि रिपोर्ट को अभिलेख पर स्वीकार किया जाता है, भले ही कोई आपत्ति दाखिल न की गई हो, प्राधिकारी को अपने समक्ष रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी, ताकि वह अपने बयान से रिपोर्ट को सिद्ध कर सके, जिसमें व्यथित पक्षकार को उससे प्रति-प्रश्न करने का अधिकार होगा।
- (vii) प्राधिकारी को सुसंगत अधिनियम और नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर प्रकरण का निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए और पक्षकारों को सामान्य तरीके से स्थगन (तारीख) देने से बचना चाहिए।
- (viii) अंतरिम अनुतोष आवेदन के साथ निर्धारित समय के भीतर योजित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत अपील के प्रकरण में, अंतरिम अनुतोष आवेदन का निस्तारण विरोधी पक्ष को पूर्व नोटिस देने के पश्चात यथासंभव दो सप्ताह के समय के भीतर किया जाना चाहिए और जहाँ सहायक कलेक्टर-प्रथम श्रेणी के समक्ष धारा 67-क के अंतर्गत आबंटन का दावा लिया गया है, और कुल क्षतिपूर्ति का कम से कम 25% भुगतान कर दिया गया है तथा प्रश्नगत भूमि पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई और निर्माण न करने के संबंध में एक वचनपत्र का शपथ-पत्र दाखिल किया गया है, तो नागरिक प्रशासन सहित प्राधिकारियों को अंतरिम अनुतोष आवेदन के निस्तारण तक आक्षेपित आदेश के अनुक्रम में किसी भी उत्पीड़क उपाय को अपनाने से बचना चाहिए। यदि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त शर्तें पूरी की जाती हैं, तो अपीलीय प्राधिकारी स्थगन आवेदन के साथ अपील योजित होने के पहले ही दिन अंतरिम अनुतोष प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

(ix) अपीलीय प्राधिकारी को यथासंभव अपील की प्रस्तुति के दो महीने की अवधि के भीतर उसका निर्णय करना चाहिए।"

11. ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त) के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विधिक अनुपात को ध्यान में रखते हुए, तहसीलदार द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को विधि की दृष्टि में बनाए नहीं रखा जा सकता है। चूंकि प्रश्नगत प्लॉट ऊसर के रूप में दर्ज है और जो क्षेत्रफल याचिकाकर्ता के अध्यासन में पाया गया है वह 0.019 हेक्टेयर है, ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता के दावे पर प्राधिकारियों द्वारा आबंटन के लिए विचार किया जा सकता है जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-क के अंतर्गत प्रावधानित है।

12. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.08.2025 और प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 अपास्त किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं। रिट याचिका स्वीकार की जाती है और प्रकरण को प्रत्युत्तरदाता संख्या 3/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार भदोही, जिला-भदोही को प्रति-प्रेषित किया जाता है कि वे संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात और किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार शीघ्रता से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत उपर्युक्त विधिक कार्यवाही का नए सिरे से निर्णय करें। प्रत्युत्तरदाता संख्या 3/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-क के अंतर्गत समाविष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत विवाद का निर्णय करते समय इस न्यायालय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के विधिक अनुपात का अनुपालन सुनिश्चित करें।

5 अगस्त, 2026

पीएस*/वंदना वाई.

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

Translated Version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।